UPSI120001872024

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।
पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785
दीवानी वाद संख्या-49/ 2024
आशीर्वादी आदि बनाम गुड्डू आदि।

दिनाँक 09.02.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री अजय अवस्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया।

समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादीगण पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनाँक 11.03.2024 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनाँक 21.03.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6ग²

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग² अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादीगण द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से भूमि गाटा संख्या 518 रकबा 0.6400 हे० स्थित ग्राम नगरौली, परगना कोण्डरी उत्तरी, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर में वाद भूमि के जुज अंश पर नींव खोदकर, पिलर बनाकर जबरन कब्जा करने व निर्माण करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादीगण की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11ग से इन्तखाब खतौनी भूमि ग्राम नगरौली, परगना कोण्डरी उत्तरी, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर, गाटा संख्या 518 सन् फसली 1428-1432 व इन्तखाब खसरा भूमि ग्राम नगरौली, परगना कोण्डरी उत्तरी, तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर सन् फसली 1429 प्रस्तुत किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6ग² पर एकपक्षीय रुप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादीगण पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6ग² दिनाँक 01.03.2024 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8ग[2]

वादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 8ग[2] बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8ग[2] स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। कमीशन कार्य हेतु वादीगण आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

सिविल जज (जू०डि०)
बिसवाँ, सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/ -

Digitally signed by SUBHASH
Date: 2024.02.09 16:18:46 PET
Reason: Document Owner
Location: In the court of civil judge junior division Biswan